




BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 433/2023

IN THE MATTER OF :

HARPAL SINGH Vs STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

NDOH – 30.09.2024

RESPONSE ON BEHALF OF APAR MUKHYA ADHIKARI,
ZILA PANCHAYAT, MUZAFFARNAGAR, 251001 UTTAR
PRADESH, INDIA (RESPONDENT NO. 9) IN COMPLIANCE
TO THE ORDER DATED 06.09.2024 PASSED BY THE
HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL
BENCH, NEW DELHI IN ORIGINAL APPLICATION NO. 433
OF 2023 IN THE MATTER OF HARPAL SINGH Vs STATE OF
UTTAR PRADESH & ORS.



I, Pawan Kumar Goel, aged about 31 years S/o Sh. Subhash Chand, presently posted as Apar Mukhya Adhikari, Zila


 Pawan Kumar Goel
 JATH COMMISSIONER
 MUZAFFARNAGAR



Panchayat, Muzaffarnagar do hereby solemnly affirm and state on oath as under :

1. That the deponent is working on the above mentioned post and being authorized officer in the captioned matter and well conversant with the facts and circumstances of the case and as such I am well conversant to swear this affidavit.
2. That this Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter referred as Hon'ble Tribunal) vide its order dated 06.09.2024 in Original Application No. 433 of 2023 in the matter of Harpal Singh Vs State of Uttar Pradesh & Ors. instructed the following :-

".....3. A fresh notice shall be issued to respondent 7 to enable it to file a reply, if any, within two weeks after receipt of notice.

4. Further we implead following as respondents 7 and 9:

I. Chief Development Officer, Muzaffarnagar

II. Jila Panchayat, District Panchayat Raj Officer, Muzaffarnagar....."



OATH COMMISSIONER
MUZAFFARNAGAR

Response-

1. For complying of direction passed by Hon'ble NGT in this matter, the report of Zila Panchayat is attached herewith as **Annexure-1.**
2. Therefore, the above reply on behalf of the Apar Mukhya Adhikari, Zila Panchayat, Muzaffarnagar is submitted before this Hon'ble Tribunal for perusal and kind consideration.

[Signature]
Deponent

VERIFICATION

I, the deponent named above, do hereby verify that the content of above paras 1 and 2 of this affidavit is true to my knowledge true on the basis of records and as per legal advice. No part of it is false and nothing material has been concealed. So help me GOD.

Verified at Muzaffarnagar on 28th..... day of September, 2024.



Certified that the Pawan K. Lohar
 S/o. Subhash Lohar
 Pargana..... Distt. Muzaffarnagar
 Identified by Shri. Algoonukhya
 Clark of Shri. Adhikari
 Presented the affidavit before me on 28th
 at..... day of..... month of..... year. I have
 sworn it Contents. The Contents were read
 over and Explained to him Received Rs.....
 Dated.....

[Signature]
Deponent

[Handwritten signature]



प्रेषक,

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत
मुजफ्फरनगर।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मुजफ्फरनगर।

पत्रांक:- 1035/जि0पं0/2024-25

दिनांक : 28.09.2024

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 433/2023 हरपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एण्ड आदर्स में पारित 06.09.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 433/2023 हरपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एण्ड आदर्स में पारित 06.09.2024 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के डिस्पेच नं0 1870 दिनांक 21.09.2024 एवं आपके कार्यालय पत्रांक 754/ओ.ए.नं. 433/हरपाल सिंह/2024 दिनांक 26.09.2024 के सम्बन्ध में जिला पंचायत मुजफ्फरनगर का पक्ष मा0 अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति के क्रम में आख्या संलग्नक रेखा चित्र के अनुसार निम्नवत् है:-

1. (A) से (B) ग्राम पंचायत रामपुर द्वारा निर्मित पक्का नाला है जिसकी लम्बाई लगभग 210 मी0 है।
2. (B) से (C) तक एफ.सी.आई. का गोदाम है जिसके सामने एफ. सी. आई. द्वारा नाला बनाया गया है। जिसकी लम्बाई लगभग 125 मी0 है।
3. (C) से (D) रेलवे विभाग द्वारा रेलवे लाईन के नीचे भूमिगत बैलेन्सिंग कन्वर्ट बनाया हुआ है।
4. (D) से (E) भूमिगत नाला है जिसके ऊपर पी.डब्ल्यू.डी. विभाग द्वारा ओवर ब्रिज बना हुआ है, जो अन्त में (F) स्थान पर खत्म होता है।
5. दिनांक 27.09.2024 को मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में स्थलीय निरीक्षण जिला पंचायत मुजफ्फरनगर के अवर अभियन्ता, प्रदूषण विभाग के सहायक अभियन्ता श्री इमरान एवं रेलवे विभाग के सीनियर सैक्शन इंजी. मौजूद थे। तत्समय बिन्दु (F) (संलग्नक रेखाचित्र) पर नाले का पानी Under Ground pipe से निकल रहा था, जो रेलवे विभाग की जमीन में निकल रहा था।
6. आज दिनांक 28.09.2024 को अधोहस्ताक्षरी के साथ एवं प्रदूषण विभाग के आर.ओ. श्री अंकित कुमार जी के साथ स्थल का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के समय पाया गया कि जिस स्थल पर नाले का पानी (F) बिन्दु पर निकल रहा था उसको जे.सी.बी. द्वारा खुर्द-बुर्द कर एवं निकासी स्थल वाले पाईप को निकाल कर उसकी दिशा बदल दी गयी है, तथा वर्तमान में वह (G) बिन्दु पर है, जो पी.डब्ल्यू.डी. प्रान्तीय खण्ड एवं निजी भूमि की ओर कर दिया गया है। आज दिनांक 28.09.2024 के स्थलीय निरीक्षण एवं प्रश्नगत स्थल के फोटोग्राफ संलग्नक है।
7. वर्तमान में स्थल के रेखा चित्र के अनुसार एवं ग्रामवासियों/ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि पानी का बहाव (G) बिन्दु से काली नदी की ओर जाना है। चूंकि श्री हरपाल सिंह द्वारा अपने खेत से मिट्टी उठाने के कारण उनका खेत गहरा हो गया है, जिससे कि पानी उनके खेत में भर जाता है।
8. स्थल पर श्री हरपाल सिंह के खेतों के समीप रेलवे विभाग की सम्पत्ति है। अतः नाला निर्माण का कार्य रेलवे विभाग द्वारा ही किया जाना नियमानुसार एवं जनहित में है। रेलवे विभाग द्वारा अपनी भूमि में स्वयं निर्माण न कराने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र राज्य सरकार/पंचायती राज विभाग को दिये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार/पंचायती राज विभाग द्वारा निर्माण कार्य नियमानुसार कराया जा सकता है। अतः वर्तमान में जिला पंचायत मुजफ्फरनगर द्वारा उक्त प्रकरण में कोई भी कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

संलग्नक- स्थलीय फोटोग्राफ एवं रेखा चित्र

भवदीय



अपर मुख्य अधिकारी

जिला पंचायत

मुजफ्फरनगर



Kamal
58



Kondal
 5/10